

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 14/2015

संस्थित दिनांक-23.10.08

फाईलिंग नंबर-2303031602008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. रूपसिंह उर्फ रूपा पुत्र कालीचरण धोबी उम्र 31 साल
निवासी ग्राम माहौ थाना मालनपुर भिण्ड
2. कैलाश पुत्र मुंशीलाल जाटव उम्र 31 साल
निवासी कटन का पुरा थाना गोहद चौराहा

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक

आरोपी कैलाश द्वारा श्री एम0एल0 मुदगल अधिवक्ता

आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

---:-- निर्णय ---:--

(आज दिनांक

को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध 392 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.06.08 को डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जिला भिण्ड थाना गोहद क्षेत्र के अंतर्गत मौजा पिपरसाना में तीन अन्य सह आरोपियों के साथ संयुक्त रूप से सरनामसिंह लहारिया के आधिपत्य से मोटरसाईकिल और रुपये 160/-की लूट कारित की और लूट के उक्त अनुक्रम में प्राणघातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग किया।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 09.06.08 को घटनास्थल ग्राम पिपरसाना थाना गोहद मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी सरनामसिंह लहारिया ग्राम पिपरसाना का निवासी है। सीनियर ऑडीटर बीमा एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग से रिटायर्ड हुआ है। दिनांक 09.06.08 को शाम करीब 5.15 बजे वह चितौरा से अपने गांव आते समय बड़े खेत की पुलिया से अपने खेत बड़ा झार गया था। जो रोड से करीब पांच सौ मीटर भीतर को है। तभी उसके पास

चार लड़के खेत में आ गये। चारों सिर में तौलिया बांधे थे। चेहरे खुले थे। बदमाशों में एक काला सा, मोटा ठिगना था जिसके दाहिने कान में लैंग जैसा पहने था, बोला कि गाड़ी हमें चाहिए, चाबी दो। उसने कहा कि गाड़ी में लगी है। तीन और बदमाशों में से एक कट्टा लिये था। चेहरा लंबा गोरा था तथा दो और बदमाश भी गोरे लंबे थे। सभी पेन्ट शर्ट पहने थे। फिर उसकी जेब से एक बदमाश न एक सौ साठ रुपये भी ले लिये। तथा उन दो बदमाशों ने गाड़ी के कागजात भी ले लिये।

4. फरियादी सरनामसिंह लहारिया द्वारा थाना प्रभारी गोहद को उक्त आशय की रिपोर्ट करने पर थाना गोहद के अपराध क्रमांक-120/2008 धारा-392 भादवि एवं 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट पर पंजीबद्ध किया गया। तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त विधिवत निराकरण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण 392 भादवि. एवं 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.06.08 को शाम के करीब 5.15 बजे ग्राम पिपरसाना में फरियादी सरनामसिंह लहारिया के खेत के पास से उसके स्वामित्व व आधिपत्य की मोटरसाईकिल मय कागजात एवं 160/- रुपये की लूट कारित की?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त लूट प्राणघातक आग्नेय आयुध का उपयोग करते हुए कारित की?

---निष्कर्ष के आधार :-

--- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 ---

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी सरनामसिंह लहारिया अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की पहचान करते हुए यह कहा है कि वह उन्हें घटना के बाद पहचानना कहा है जिन्हें उसने साक्ष्य के दौरान भी न्यायालय में देखा और उसके पूर्व उसने गिरफ्तारी के समय भी देखा था। न्यायालय भिण्ड में तारीखों पर भी देखा था। और पैरा-4 में उसने यह भी कहा है कि आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी होने के बाद पहचान कराई थी। लिखापट्टी की या नहीं की, यह उसे पता नहीं है। उक्त आरोपीगण को जानने की बात अन्य साक्षी हरेन्द्र शर्मा अ0सा0-3 जो कि फरियादी सरनाम का पुत्र है, तथा गिरेन्द्र शर्मा

अ0सा0-4 हो कि फरियादी का भतीजा है, तथा जो अन्य कार्यवाही के भी साक्षी रहे हैं, उन्होंने भी पहचान की है और उनके द्वारा की गई पहचान उनके प्रतिपरीक्षण में कहीं भी खण्डित नहीं हुई है। अनुसंधान के दौरान शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन फरियादी के मुताबिक गिरफ्तार होने पर पुलिस के सामने उसने पहचानना बताया है।

9. सरनाम सिंह अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि घटना दिनांक 09.06.08 के शाम करीब 5.15 बजे की है। जब वह गांव चितौरा से अपने गांव पिपरसाना मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर नीले रंग की जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-9096 था, उससे वह अकेला जा रहा था। रास्ते में पुलिया के पास उसके खेत पड़ते हैं। खेतों पर बोर लगा है। बोर के पास उसने अपनी मोटरसाईकिल खड़ी की थी और बोर को देखकर वह अपने घर की ओर वापिस चलने को हुआ था। तब हाजिर अदालत आरोपीगण ने उसके बोर के पास जहाँ मोटरसाईकिल रखी थी, वहाँ आकर आरोपी कैलाश ने उसे लोडेड कट्टा अड़ाया था और उसकी मोटरसाईकिल छीनने का प्रयास किया था और यह कहा था कि उन्हें मोटरसाईकिल चाहिए। चाबी मांगी थी तो उसने यह कह दिया था कि चाबी मोटरसाईकिल में लगी है। फिर आरोपीगण ने मोटरसाईकिल उससे छीन ली थी और मोटरसाईकिल के कागजात भी छीन लिये थे तथा जेब से 160/-रुपये भी छीन लिये थे। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी रूपा और रूपसिंह व कैलाश के अलावा दो अन्य लोग भी थे जो अलग खड़े रहे थे जिन्हें भी वह सामने आने पर पहचान सकता है क्योंकि उसके पैरा-3 मुताबिक चारों बदमाश तौलिया बांधे थे जिनके मुंह खुले हुए थे।
10. अ0सा0-2 ने आगे यह भी बताया है कि आरोपीगण मोटरसाईकिल लूटकर ले गये थे। उसके बाद वह गांव में पहुंचा था। गांव में पुलिस बल तैनात था जिसे घटना के बारे में बताया था। फिर पुलिस बल ने टी0आई0 साहब को सूचना दी थी। टी0आई0 साहब आये थे। फिर वह टी0आई0साहब के साथ थाने गया था और थाने पर उसने जाकर प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर वह अपने हस्ताक्षर बताता है। उसके मुताबिक पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका उसकी निशादेही पर बनाया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि बाद में मोटरसाईकिल उसे न्यायालय से सुपुर्दगी में मिली थी जिसका उसने प्र0पी0-4 का सुपुर्दगीनामा दिया था। पुलिस ने घटना के बारे में उसका बयान भी लिया था।
11. अ0सा0-2 ने पैरा-3 में यह बताया है कि टी0आई0 साहब ग्राम पिपरसाना आ गये थे। उनके साथ ही वह थाने रिपोर्ट को गया था और उसने अपने मुंह से रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट में उसने चार बदमाश बताये थे जो मुंह पर तौलिया बांधे थे और उनके मुंह खुले हुए थे। तथा उसने लुटेरों का हुलिया भी लिखाया था। यह भी बताया था कि एक व्यक्ति काला सा मोटा, ठिगना जिसके कान में लौंग जैसी पहने था, उसे उसने रूपसिंह के रूप में न्यायालय में पहचाना है और बताया है कि उसने उसे चाबी छीनी थी। उसने आरोपीगण के नाम नहीं लिखाये थे। लेकिन स्वतः साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि कैलाश ने उसे सिर पर कट्टा लगाया था। रूपा ने गाड़ी छीनी थी। प्र0पी0-3 की एफआईआर में उसने लूटने, छीनने के शब्दों को नहीं लिखाया था। कट्टा अड़ाकर लूटकर छीनने की बात लिखाई थी। पुलिस ने उसका घटना के तीन चार दिन बाद बयान लिया था। मोटरसाईकिल

मिलने पर थाने बुलाया था और थाने पर उसने अपनी मोटरसाईकिल पहचानी थी। आरोपीगण को भी गिरफ्तारी के समय देखा था। आरोपियों के अलावा जो दो बदमाश थे वे गोरे, लंबे बताये थे। इस बात से इन्कार किया है कि दो अज्ञात गोरे लंबे बदमाशों ने उसकी गाड़ी लूटी थी। साक्षी ने अंत में इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई लूट नहीं की। पैरा-6 में उसका यह भी कहना है कि पुलिस मोटरसाईकिल किससे बरामद करके लाई थी, यह उसे पता नहीं है। लेकिन आरोपीगण के अलावा अन्य किसी के द्वारा मोटरसाईकिल लूटने से वह इन्कार करता है। उक्त साक्षी का समर्थन हरेन्द्र शर्मा अ0सा0-3 और गिरेन्द्र शर्मा अ0सा0-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है जिनके प्रतिपरीक्षण में भी कोई अन्यथा तथ्य लूट के बिन्दु पर नहीं आये हैं।

12. एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.06.08 को थाना प्रभारी गोहद के पद पर रहना बताते हुए यह कहा है कि उक्त दिनांक को फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर चार अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसकी मोटरसाईकिल, कागजात रुपये आदि लूटने की रिपोर्ट की थी जिस पर से उसने अप0क्र0-120/08 कायम कर प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध की थी जिस पर उसने बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी बताये हैं और यह कहा है कि उक्त दिनांक को ही वह फरियादी को लेकर घटनास्थल पर गया था तथा फरियादी के बताये अनुसार उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-9 बनाया था। और फरियादी का अगले दिन दिनांक 10.06.08 को पुलिस कथन लिया था। घटना वाले दिन आरोपियों की तलाश में गये थे इसलिये उस दिन बयान नहीं लिया था। इस बात से इन्कार किया है कि उसने घटना दिनांक को ही फरियादी के बयान इसलिये नहीं लिये क्योंकि उसने फरियादी से कहा था कि वह आरोपियों के नाम बतायेगा तब नाम लिखाना।

13. इस संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक जैसे तर्क करते हुए अपने अंतिम तर्कों में यह कहा है कि रिपोर्ट अज्ञात में है और चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी। किन्तु अभियोग पत्र केवल दो आरोपियों के विरुद्ध ही पेश किया गया है। शेष दो के बारे में पुलिस अनुसंधान में असफल रही है तथा फरियादी से आरोपीगण की कोई शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई है जबकि फरियादी ने बदमाशों को सामने आने पर पहचान लेने की बात एफआईआर प्र0पी0-3 में लिखाई थी और हुलिया भी लिखाया था। पहचान न कराये जाने से घटना संदिग्ध है जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि फरियादी सरनाम सिंह ने आरोपियों को न्यायालय में भी पहचाना है और घटना के तथ्यों का स्पष्ट विवरण दिया है। पुलिस कथानक उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है और एफआईआर अभियोजन द्वारा सिद्ध की गई है उसे प्रमाणित माना जावे।

14. अ0सा0- के अभिसाक्ष्य में चार अज्ञात लोगों के द्वारा आकर उसके खेत पर से उसके आधिपत्य व स्वामित्व की मोटरसाईकिल क्रमांक- एम0पी0-07-एमबी-9096 मय कागजात और 160/-रुपये की लूट आग्नेय शस्त्र का भय दिखाकर कारित की जाना बताई गई है। प्र0पी0-3 की एफआईआर में जो घटनाक्रम बताया गया है उसके अनुरूप ही सरनामसिंह अ0सा0-2 का अभिसाक्ष्य आया है जिसका समर्थन हरेन्द्रशर्मा अ0सा0-3 व गिरेन्द्र

शर्मा अ0सा0-4 ने भी किया है। तथा एफआईआर की पुष्टि एफआईआर लेखक अ0सा0-3 अमरनाथ वर्मा के द्वारा भी की गई है। न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में फरियादी आरोपीगण की पहचान करता है। अनुसंधान के दौरान पहचान की कार्यवाही अवश्य नहीं हुई है किन्तु लूट के मामले में हर परिस्थिति में घटना के प्रमाण का भार अभियुक्त की शिनाख्ती परेड नहीं हो सकती है। यदि फिलहाल पहचान के बिन्दु को विश्लेषण के लिये छोड़ दिया जावे तब भी अ0सा0-2 लगायत अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-3 की एफआईआर की पुष्टि हो जाती है। ऐसे में कोई तात्त्विक विषंगति न होने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि फरियादी सरनामसिंह लहारिया के साथ दिनांक 09.06.08 को शाम के करीब 5.15 बजे जब वह चितौरा से लौटते समय अपने खेतों को देखते हुए आ रहा था और बोर पर रुक गया था वहाँ पर चार अज्ञात लोगों ने आकर उसके स्वामित्व व आधिपत्य की मोटरसाईकिल मय कागजात व 160/-रुपये नगदी की लूटकारित की।

15. आरोपीगण या उनमें से कोई घटना में शामिल था या नहीं था, यह अभी और विश्लेषित किया जाना है। लेकिन प्र0पी0-4 के सुपुर्दगीनामा को अ0सा0-2 ने प्रमाणित किया है और उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फरियादी सरनामसिंह लहारिया के स्वामित्व की मोटरसाईकिल थाना गोहद के अप0क0-120/08 धारा-392 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 में जप्त होने के आधार पर उसे सुपुर्दगी में दी गई थी। इसलिये अब प्रकरण में सर्वाधिक महत्व का दस्तावेज जप्ती ही हो जाता है और यह देखना होगा कि क्या जो मोटरसाईकिल फरियादी को सुपुर्दगी में मिली वह आरोपीगण या उनमें से किसी के आधिपत्य से या संज्ञान से ही बरामद हुई? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-114 के मुताबिक न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका खण्डित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राईवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। अर्थात् किसी चीज का लुट जाना या चोरी होना और किसी व्यक्ति से उसका बरामद होना यदि प्रमाणित हो तो उसे कड़ी के रूप में माना जावेगा। इस संदर्भ में अभिलेख पर आई अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो प्रकरण में आरोपीगण रूपा उर्फ रूपसिंह एवं कैलाश को उनके गिरफ्तार होने के पश्चात पूछताछ कर लिये गये ज्ञापनों और ज्ञापनों में आये तथ्यों के आधार पर हुई बरामदगी के आधार पर अभियोजित किया गया है जिसके दस्तावेज प्र0पी0-5 लगायत 8 हैं जिनके साक्षी अ0सा0-3, अ0सा0-4 व अ0सा0-6 हैं तथा गिरफ्तारी के संबंध में अ0सा0-1 का परीक्षण हुआ है जिनका समग्रता से सूक्ष्मता से विधि के प्रावधानों के अनुसरण में मूल्यांकन करना होगा।

16. उपनिरीक्षक नरेन्द्रपाल सिंह कुशवाह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 26.06.08 को थाना गोहद पर प्र0आर0 के पद पर पदस्थ रहते हुए अप0क0-128/2008 में आरोपी रूपसिंह उर्फ रूपा धोबी को प्र0पी0-1 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा तथा कैलाश जाटव को प्र0पी0-2 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा केन्द्रीय जेल ग्वालियर से औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। फॉर्मल गिरफ्तारी की अनुमति भी वह न्यायालय से प्राप्त करना बताता है। प्र0पी0-1 व

2 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी केन्द्रीय जेल ग्वालियर से कार्यालयीन समय के दौरान की गई थी। प्र०पी०-1 व 2 के बारे में कोई अन्यथा तथ्य भी नहीं है न ही अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में हुआ है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 26.06.08 को दोनों आरोपीगण केन्द्रीय जेल ग्वालियर में निरुद्ध थे जहाँ से उनकी उक्त अपराध में औपचारिक गिरफ्तारी की गई थी जो न्यायालय की अनुमति से की जाना बताई गई है जिसका भी खण्डन नहीं है। इसलिये गिरफ्तारी के संबंध में कोई विरोधाभास या विषंगति नहीं आई है।

17. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध के लिये यह आवश्यक है कि उक्त प्रावधान के तहत सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध में अभियुक्त होना चाहिए, उसका पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगाना चाहिए तथा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतः संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है। चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो अथवा नहीं आता हो। उक्त प्रावधान के तहत पुलिस अभिरक्षा के बिन्दु को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **ऑंकार गणेश विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 1978 एम०पी०एल०जे० पेज- 429** में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में पूछताछ के लिये बुलाया जाता है जो किसी अपराध के संबंध में है तो यह माना जावेगा कि वह व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है। किसी औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता इस हेतु नहीं होती है। इसलिये प्रकरण में औपचारिक गिरफ्तार होने का आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। न ही वह अभियोजन के विरुद्ध किसी उपधारणा को निर्मित करती है। ऐसे में अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-1 व 2 की गिरफ्तारियाँ प्रमाणित हो जाती हैं।

18. अभियोजन के कथानक में आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ करने पर दी गई जानकारी के आधार पर अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर उन्हें अभियोजित किया है जिसके संबंध में अ०सा०-3, 4 व 6 की अभिसाक्ष्य विशेष रूप से मूल्यांकित किये जाने योग्य है। क्योंकि वे ही उक्त प्र०पी०-5 लगायत 8 के दस्तावेजों के साक्षी हैं जिनमें से अ०सा०-3 व 4 उक्त दस्तावेजों के पंच साक्षी की हैसियत से और अ०सा०-6 विवेचना अधिकारी की हैसियत से प्रकरण में परीक्षित हुए हैं तथा अ०सा०-3 व 4 फरियादी के निकट संबंधी हैं, और अ०सा०-6 पुलिस अधिकारी है। ऐसे में उनकी अभिसाक्ष्य को सावधानी से मूल्यांकित किये जाने की अपेक्षा हो जाती है। किन्तु बचाव पक्ष का यह तर्क है कि वे हितबद्ध साक्षी हैं और पुलिस अपनी कार्यवाही औपचारिक रूप से प्रमाणित करती है इसलिये उनको इसी आधार पर अग्राह्य किया जाये, यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि अन्य साक्षियों की भांति ही पुलिस साक्षी को भी विश्लेषण में लिया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है कि वह पुलिस साक्षी है। न ही ऐसी कोई न्यायिक परिपाटी है। अर्थात् किसी भी पुलिस कर्मी की साक्ष्य को विभागीय साक्षी होने के आधार पर अग्राह्य या संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

19. इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गिरजा प्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी०**

ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 पेज-3106 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की तरह ही लेना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, पुलिस के मामले में भी लागू होता है। तथा विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अच्छे न्याय की परिपाटी भी नहीं है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **कल्लू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2000 एम0पी0जे0आर0 पेज-203** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी की आरोपी से कोई शत्रुता न हो एवं उसकी साक्ष्य यदि विश्वसनीय हो तो उसकी एकल साक्ष्य सत्यनिष्ठ मान्य की जानी चाहिए।

20. हरेन्द्र शर्मा अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-5 लगायत 8 के संबंध में भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसके सामने आरोपी रूपसिंह उर्फ रूपा ने पुलिस को अभिरक्षा के दौरान लूटी गई मोटरसाईकिल के कागजात आरोपी कैलाश के पास और मोटरसाईकिल अपने पास घर पर रखी होना और चलकर बरामद करा देने की जानकारी दी थी जिसका पुलिस ने प्र0पी0-5 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था जिस पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर किये थे। इसी तरह की जानकारी भी आरोपी कैलाश ने भी दी थी जिसका प्र0पी0-6 का मेमोरेण्डम कथन पुलिस ने तैयार किया था जिस पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर किये थे। उसने यह भी बताया है कि फिर पुलिस ने आरोपी से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07-एमबी-9096 का रजिस्ट्रेशन और बीमा के कागजात जप्त कर प्र0पी0-7 का जप्ती पत्रक बनाया था। तथा आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-9096 जप्त कर उसका जप्ती पत्रक प्र0पी0-8 बनाया था जिस पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं।

21. इस साक्षी के प्रति परीक्षण में केवल इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण नहीं आया है कि पहले किसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया था तथा पहले किससे जप्ती हुई जिसका वह यह कारण बताता है कि घटना का सात आठ साल हो गये हैं। लेकिन यह स्पष्ट किया है कि मोटरसाईकिल के कागजात कैलाश के घर से जप्त हुए थे जो कटन का पुरा गांव से जप्त हुए थे और जप्ती के समय वह वीरेन्द्र शर्मा की भी अपने साथ उपस्थिति बताते हुए उसके द्वारा भी उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना बताता है। उसने पैरा-5 में यह अवश्य कहा है कि पुलिस ने कहा था कि कैलाश से मोटरसाईकिल के कागजात जप्त किये। पैरा-6 में उसने मोटरसाईकिल ग्राम माहौ में आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह के घर से बरामद होना बताया है और यह कहा है कि वह भी साथ में गया था। मोटरसाईकिल घर पर रखी थी। निश्चित स्थान उसे ध्यान नहीं है कि कमरे में थी या आंगन में थी। लेकिन वह जप्ती की लिखापट्टी मौके पर ही होना बताता है। यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही के समय गांव क चार छः लोग भी आ गये थे। दोनों आरोपीगण से पूछताछ कर मेमोरेण्डम थाने पर लिया जाना वह बताता है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य गिरेन्द्र शर्मा अ0सा0-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में देते हुए प्र0पी0-5 लगायत 8 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। उक्त

दोनों साक्षियों ने लिखापट्टी की बात भी बताई है और यह कहा है कि लूट की घटना के समय आरोपियों का पता नहीं चला था। दूसरे दिन पता चलना अ0सा0-3 पैरा-6 में बताता है। लेकिन किस व्यक्ति ने नाम बताये थे, यह उसे याद नहीं है।

22. अ0सा0-4 गिरेन्द्र पैरा-5 में यह भी कहता है कि उसके चाचा सरनाम की मोटरसाईकिल रूपसिंह ने छुड़ाई थी और उसके चाचा ने उसको यह भी बताया था कि एक आदमी ने कट्टा ताना था शेष ने रुपये छुड़ाये थे। वह पुलिस द्वारा घटना के एक दो महीने बाद उससे पूछताछ करना कहता है तब पुलिस ने उसके कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे। उन कागजों में क्या लिखा था यह उसे पता नहीं है। किन्तु उक्त साक्षी स्पष्ट रूप से प्र0पी0-5 लगायत 8 के तथ्यों के बारे में कथानक अनुरूप ही साक्ष्य दे रहा है। इसलिये यह माना जायेगा कि जिन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर कराये उसके तथ्यों से वह भली भांति परिचित रहा था। इस तरह से अ0सा0-3 व 4 के कथन एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और उन पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे फरियादी फरियादी सरनामसिंह लहारिया के पुत्र व भतीजे हैं। और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस बिन्दु पर किये गये तर्क ग्राह्य योग्य नहीं हैं।

23. ए0एस0आई0 आर0बी0एस0 यादव अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 22.07.08 को थाना गोहद में पदस्थ रहते हुए अप0क0-120/08 धारा-392 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के मामले में आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह से पूछताछ कर उसका प्र0पी0-5 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करा तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी कैलाश से पूछताछ कर प्र0पी0-6 का मेमोरेण्डम कथन गवाहों के समक्ष लेखबद्ध करना बताते हुए उन पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। तथा जानकारी के आधार पर उसी दिन आरोपी कैलाश द्वारा अपने घर से चोरी करने पर मोटरसाईकिल एम0पी0-07 एमबी-9096 के रजिस्ट्रेशन, बीमा के कागजात प्र0पी0-7 के जप्ती पत्रक द्वारा जप्त करना, उसी दिन आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह के द्वारा उसके घर से एक मोटरसाईकिल जप्त करना और उसका प्र0पी0-8 का जप्ती पत्रक तैयार करना बताते हुए बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। उसके द्वारा उक्त दोनों साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना भी कहा है। यह भी कहा है कि आरोपीगण के मुरार ग्वालियर थाने से अन्य अपराध से संबंधित कागजात भी मंगाये गये थे और उन्हें संलग्न किया गया था।

24. अ0सा0-6 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के सुझावों से इन्कार करते हुए यह कहा है कि फरियादी सरनाम का भी उसने कथन लिया था जिसके दो बार कथन लिये थे। एक कथन दिनांक 10.06.08 को, दूसरा कथन जिसे वह मजीद कथन बताता है, वह 22.07.08 को लेना बताता है और यह स्वीकार किया है कि पहल कथन में आरोपी अज्ञात थे लेकिन उनका हुलिया बताया गया था फिर फरियादी ने लूट करने वालों की जानकारी अपने स्तर पर हांसिल की थी और उसके बाद दुकान कथन दिनांक 22.07.08 को लिया था। उसके दोनों कथन प्र0डी0-1 व 2 के रूप में प्रदर्शित हुए हैं जिनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि प्र0डी0-2 में ऐसा लेख अवश्य नहीं है कि आरोपियों की जानकारी लेने के बाद कथन दिया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनुसंधान के दौरान किसी भी

साक्षी से केवल एक बार ही पूछताछ की जा सकती है बल्कि अनुसंधान के दौरान आवश्यकता पड़ने पर एक से अनेक बार कथन लेखबद्ध किये जा सकते हैं। इसलिये फरियादी के दो बार कथन लिये जाने पर बचाव पक्ष की ओर से तर्कों में उठाई गई आपत्ति बे-बुनियाद होकर विधिसम्मत नहीं है। उक्त विवेचक के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य अवश्य आया है कि वह मजीद कथन का अर्थ नहीं समझता है लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया है कि नौकरी के दौरान वह अन्य विवेचकों को दूसरा कथन मजीद कथन के रूप में लिखते हुए देखता रहा है इसलिये उसने भी दूसरे कथन को मजीद कथन लेख किया है। मजीद कथन का जो वह अर्थ निकालता है उससे यह आशय निकलता है कि साक्षी अपने स्तर पर यदि तथ्यों को जोड़कर पुलिस को जानकारी दे तो उसे वह मजीद कथन की उपमा देगा।

25. इस प्रकार से अ0सा0-3, 4 व 6 के अभिसाक्ष्य में असामान्य स्वरूप के विरोधाभास या विषंगतियाँ नहीं आई हैं बल्कि वे एकदूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इसलिये अ0सा0-6 पर पुलिस अधिकारी होने के आधार पर और अ0सा0-3 व 4 पर फरियादी के निकट संबंधी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है न ही उनकी अभिसाक्ष्य को त्यागा जा सकता है बल्कि प्र0पी0-5 लगायत 8 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त संपूर्ण कार्यवाही एक ही दिन अर्थात् दिनांक 22.07.08 की है। तथा प्र0पी0-5 की जानकारी के आधार पर रूपा के घर से मोटरसाईकिल का बरामद होना और कैलाश के घर से मोटरसाईकिल के रजिस्ट्रेशन, बीमा के दस्तावेज बरामद होना इस तथ्य को दर्शाते हैं कि अभियोगी की सूचना पर विशिष्ट तथ्य का पता चला जो कि सूचना के सत्य होने की गारंटी की श्रेणी में आता है और धारा-114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत अभियुक्त की सूचना के आधार पर बगैर अनुचित बिलंव के उसके आधिपत्य व संज्ञान से वस्तुओं की बरामदगी होना आरोपीगण के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने को बल देता है।

26. न्याय दृष्टांत **रामकिशन मीठालाल शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ बॉम्बे ए0आई0आर0 1955 एस0सी0 104** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस की अभिरक्षा में दी गई सूचना जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है वह साबित की जा सकती है। जैसा कि हस्तगत मामले में आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह और कैलाश की सूचना से इस तथ्य विशेष का पता चलना कि फरियादी की जिस मोटरसाईकिल की लूट का मामला दर्ज किया गया था, उसके कागजात आरोपी कैलाश के घर में हैं और मोटरसाईकिल रूपा उर्फ रूपसिंह के घर है। यह सुसंगत है। उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि सुसंगत तथ्य का पता लगने पर उसे साबित किया जा सकता है चाहे वह स्वयं स्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं और धारा-27 साक्ष्य विधान के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत आया है कि अभियोगी की सूचना पर यदि किसी तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी है। इसलिये इसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **पुन्नूस्वामी विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू (2008) वोल्यूम-5 एस0सी0सी0 पेज-587** में यह

प्रतिपादित किया गया है कि जैसे ही यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना के आधार पर किसी अन्य सुसंगत तथ्य का पता लगा है वैसे ही वह यदि अपराध से कड़ी के रूप में जुड़ता है तो तो ग्रहण किया जायेगा और स्वीकार योग्य होगा। न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एन0सी0टी0 देहली विरुद्ध नवजोत संधू उर्फ अवसान गुरू (2005) वोल्जूम-11 एस0सी0सी0 पेज-600** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी अभियोगी द्वारा बतलाये गये स्थान पर जाता है और वस्तुओं की बरामदगी कराता है तो ऐसी स्थिति में आरोपी की वास्तविक उपस्थिति झगड़े के समय आवश्यक नहीं है। हालांकि इस मामले में प्र0पी0-5 व 6 की जो सूचना धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत आरोपीगण द्वारा दी गई उस सूचना के आधार पर आरोपीगण के घरों से उन्हें साथ ले जाकर मोटरसाईकिल और उसके कागजात की जप्ती हुई है जिसका पंच साक्षियों ने भी समर्थन किया है, ऐसे में अ0सा0-6 की अभिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय होकर स्वीकार योग्य है। और उसके संबंध में बचाव पक्ष का तर्क विधिमान्य नहीं रह जाता है। ऐसे में प्र0पी0-5 लगायत 8 के दस्तावेज अ0सा0-3, 4 एवं 6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होते हैं जिससे यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि फरियादी सरनामसिंह लहारिया की जो मोटरसाईकिल मय कागजात उसके खेत पर से बोर के पास से से आरोपीगण द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग करते हुए भय दिखाकर लूट कर ले जाई गई थी वह विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही अन्य दो लोगों के साथ मिलकर कारित की गई। अन्य दो लोगों के संबंध में अनुसंधान में तथ्य न आने का भी आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। और उसके संबंध में पुलिस को निर्देश दिया जा सकता है। किन्तु इस आधार पर घटना संदिग्ध नहीं होगी।

28. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध विचाराधीन आरोप प्रमाणित हो जाते हैं कि उन्होंने ही दिनांक 09.06.08 को शाम करीब 5.15 बजे मौजा पिपरसाना में फरियादी के बड़ाझार वाले खेत से उसके आधिपत्य से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-9096 मय कागजात के आग्नेय शस्त्र का भय दिखाते हुए छीनकर लूट कारित की और वह लूट वाला घटनास्थल मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित होते हुए कारित की गई। इसलिये आरोपीगण को धारा-392 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0वी0पीके0 एक्ट 1981 का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहरा जाता है।

29. आरोपीगण का अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से आपराधिक चरित्र का होना भी बताया गया है। तथा लूट की घटना अपने आप में गंभीर अपराध होती है और आरोपीगण घटना के समय 21 वर्ष के होकर वर्तमान में भी नवयुवक हैं। ऐसे में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत या धारा-325 या 360 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत किसी लाभ की पात्रता नहीं रहती है। इसलिये दण्डाज्ञा के संबंध उन्हें सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

-:- दण्डाज्ञा -:-

30. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपीगण के दोनों विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया है कि आरोपीगण विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में रह चुके हैं तथा वे गृहस्थ व्यक्ति हैं और शांतिपूर्वक वर्तमान में जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिये उनकी काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि एवं न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया जावे । अन्यथा उनके परिवार पर भारी संकट आ जायेगा, जिसका विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कड़ा विरोध करते हुए कड़े दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है ।
31. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन, मनन किया गया । अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर भी विचार किया गया । आरोपीगण के द्वारा राजस्व जिला भिण्ड में एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 के प्रावधानों के प्रभावशील रहते हुए फरियादी सरनाम सिंह के आधिपत्य से उसकी मोटरसाईकिल, रुपयों की लूट घातक आयुद्धों को उपयोग में लाते हुए अंजाम दिया गया है और इस तरह की घटनाएं उक्त जिले में बहुतायत में हो रही हैं तथा ऐसे अपराधों को साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है और वह निश्चित रूप से गंभीर अपराध है, इसलिये जो न्यायिक निरोध की अवधि आरोपीगण के द्वारा विचारण के दौरान काटी जा चुकी है उसे पर्याप्त दण्डादेश नहीं माना जा सकता है तथा इस तरह के लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तथा आम लोगों में लूटपात की घटनाओं के प्रति भय समाप्त करने के उद्देश्य से यथोचित दण्ड दिया जाना उचित व न्यायसंगत होगा । ताकि समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके । इस संबंध में न्याय दृष्टांत यूनियन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह 2004 वॉल्यूम-1। एस.सी.सी. पेज-590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277 अवलोकनीय है ।
32. अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण रूपसिंह एवं कैलाश सिंह को धारा-392 भा.दं.वि. सहपठित धारा-13 डकैती अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण रूपसिंह एवं कैलाश को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना होने पर व्यतिक्रम में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।
33. आरोपीगण रूपसिंह एवं कैलाश के सजा वारण्ट बनाये जावे एवं धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी रूपसिंह द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दि०-23/07/2008 से 29/12/2010 तक एवं दि०-24/01/2014 से 22/05/2014 तक तथा दि०-08/07/2015 से दि०-27/07/15 तक तथा

आरोपी कैलाश द्वारा दिनांक-23/07/2008 से 10/02/2009 तक की न्यायिक निरोध तक की अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो ।

34. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये ।
35. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल पूर्व से पंजीकृत स्वामी पर है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे ।
36. निर्णय की प्रति आरोपी को निशुल्क प्रदान की गयी ।
37. निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे ।

दिनांक: 30 नवम्बर 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)